

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2015/ 740

दिनांक:- 8/10/15


### आदेश

आवासीय अभियन्ता खण्ड-डूंगरपुर के अधीन शिवाजी नगर डूंगरपुर आवासीय योजना में उपलब्ध अनिस्तारित आवासों को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय के प्रस्तावानुसार खुली ब्रिकी योजना में किराया कय पद्धति/नगद भुगतान पद्धति के माध्यम से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	योजना का नाम	श्रेणी	आवास संख्या
1.	नई आवासीय योजना सागवाडा	EWS	B-55, B-93, B-113, B-116, B-120, B-143, B-164, B-166, B-167, B-168 = 10 HOUSES
		LIG	A-76, A-80, A-81, A-83, A-85, A-89, A-90, A-92, A-94, A-95, A-101 = 11
		MIG-A	A-50, A-52, A-56, A-59, A-60, A-61, A-62, A-63, A-66, A-67 = 10
		MIG-B	B-16, B-17, B-18, B-19, B-20, B-21, A-120, A-121, A-123, A-124, A-125, A-128, A-129, A-130, A-134, A-136, A-137 = 17
		HIG	A-138, A-141, A-146, A-147, A-148, A-149 = 06
2.	शास्त्री नगर बांसवाडा	MIG-A	3-I-2, 3-I-3, 3-J-1, 3-J-3 = 4
		MIG-B	4A-26, 4A-27, 2-E-2 = 3


अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-उदयपुर खुली ब्रिकी पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है एवं उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवास खुली ब्रिकी हेतु रिक्त नहीं है। उक्त आवासों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे तथा आवासों का निस्तारण खुली ब्रिकी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती है।

उक्त आदेश पैरा संख्या 57-58/एन पर सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, उदयपुर, रा0आ0म0 उदयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड डूंगरपुर, रा0आ0म0 जयपुर।
8. ~~संयुक्त~~ एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक